

प्रेस नोट थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर दिनांक 23.07.2022

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में 02 अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा "अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी" के संबंध में चलाये जा रहे अभियान/निर्देश के क्रम में व पुलिस अधीक्षक उत्तरी गोरखपुर व क्षेत्राधिकारी कैम्पिंगंज के कुशल पर्यवेक्षण में व प्रदीप शर्मा प्रभारी निरीक्षक थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 23.07.2022 को थाना क्षेत्र में अपराध की रोकथाम के दृष्टिगत उ0नि0 गुरु प्रसाद, का0 आनन्द प्रधान, का0 जितेन्द्र मौर्य, का0 अमीत चौहान, का0 अमन कुमार के क्षेत्र में मामू थे, कि मुखबीर की सूचना पर मु0अ0सं0 94/2022 धारा 363,366,376 डी भादवि व 5/6 पोक्सो एक्ट थाना चिलुआताल गोरखपुर से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त 1.रिंकू पुत्र मदन लाल निवासी बेनीगंज शिवमंदिर के पास मकान किरायेदार मकान मालिक राजू थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर 2. सुदीप कन्नौजिया पुत्र दुर्गाप्रसाद उम्र करीब निवासी अंधियारी बाग थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर को डोमिनगढ रेलवे स्टेशन से दिनांक 23.07.2022 को समय 09.30 बजे डोमिनगढ रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। अग्रिव विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अपराध विवरण/अभियुक्तगण से पूछताछ - अभियुक्त से पूछताछ के क्रम में ज्ञात हुआ कि अभियुक्त गिरफ्तारी के डर से अपनी रिश्तेदारी जा रहा था। जिनको डोमिनगढ रेलवे स्टेशन से पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया।

गिरफ्तारी का स्थान व समय:-

डोमिनगढ रेलवे स्टेशन के पास से समय करीब 09.30 बजे दिनांक 23.07.2022

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

- 1.रिंकू पुत्र मदन लाल निवासी बेनीगंज शिवमंदिर के पास मकान किरायेदार मकान मालिक राजू थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर
- 2.सुदीप कन्नौजिया पुत्र दुर्गाप्रसाद उम्र करीब निवासी अंधियारी बाग थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण:-

मु0अ0सं0 94/2022 धारा 0094/2022 धारा 363,366,376 डी भादवि व 5/6 पोक्सो एक्ट – थाना चिलुआताल गोरखपुर

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

- 1-उ0नि0 गुरु प्रसाद थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
- 2-का0 आनन्द प्रधान, थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
- 3-का0 जितेन्द्र मौर्य थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
- 4-का0 अमीत चौहान थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
- 5-का0 अमन कुमार थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर